



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 31.05.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना पनवाड़ी पुलिस टीम ने अवैध तमंचा सहित शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार...



दिनांक 30.05.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व में एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर० के० गौतम के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री तेज बहादुर सिंह के पर्यवेक्षण में, अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक पनवाड़ी श्री विजय कुमार सिंह द्वारा गठित टीम ने रात्रि गश्त एवं तलाश वांछित अभियुक्तगण के दौरान **अभियुक्त हृदेश पुत्र सुरेन्द्र कुमार**

कुशवाहा उम्र करब 20 वर्ष निवासी ग्राम किल्हौवा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा को गिरफ्तार किया। जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा देशी 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुए। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु०अ०सं० 108/2021 धारा 3/25 A. ACT पंजीकृत कर अभियुक्त को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ०नि० श्री कमलेश कुमार
2. का. विमल कुमार
3. का. आशीष कुमार

अभियुक्त का नाम व पता-

हृदेश पुत्र सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा उम्र करब 20 वर्ष निवासी ग्राम किल्हौवा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा

अपराध विवरण-

1. मु०अ०सं० 108/2021 धारा 3/25 A. ACT थाना पनवाड़ी जिला महोबा।

बरामदगी -

01 अदद तमंचा देशी 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर नाजायज।



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 31.05.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



पनवाड़ी पुलिस टीम ने ताश-पत्तों से हार-जीत की बाजी लगा रहे अभियुक्तों को किया गिरफ्तार...।



पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध पर अंकुश एवं अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के दृष्टिगत क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री तेज बहादुर सिंह के नेतृत्व में चलाये जा रहे अवैध जुआं/शराब में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में दिनांक 30.05.2021 को प्रभारी निरीक्षक पनवाड़ी श्री विजय सिंह द्वारा गठित पुलिस टीम ने अभियान में शामिल होकर जुआं खेल रहे अभियुक्त गण 1. चन्दू पुत्र रोशन निवासी ग्राम बैदो थाना पनवाड़ी जिला महोबा 2. बाबूलाल पुत्र जयराम निवासी ग्राम बैदो थाना पनवाड़ी जिला महोबा 3. फूलसिंह पुत्र शिवप्रसाद निवासी ग्राम बैदो थाना पनवाड़ी जिला महोबा 4. अमरचन्द्र पुत्र प्यारेलाल निवासी ग्राम बैदो थाना पनवाड़ी जिला महोबा 5. शंकर पुत्र कालीचरन निवासी ग्राम बैदो थाना पनवाड़ी जिला महोबा 6. मदन पुत्र सन्तोष निवासी ग्राम सरगांव थाना मझगवां जिला हमीरपुर 7. रामकुमार पुत्र बिहारी लाल निवासी ग्राम बैदो थाना पनवाड़ी जिला महोबा 8. मानसिंह राजपूत पुत्र शिवनारायण निवासी ग्राम अलीपुरा थाना पनावडी जिला महोबा को **मय 12600 रु0 मालफड़ व 52 अदद ताश पत्ते , अधजली मोमबत्ती , माचिस जिसमें कुछ तिलियां व 1010 रु0 जामा तालाशी व सहित गिरफ्तार किया ।** जिस पर थाना स्थानीय पर **मु.अ.सं. 109/2021 धारा 13 G ACT** पंजीकृत किया गया ।



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 31.05.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1- उ.नि. श्री रमेशचन्द्र
- 2- कां अवनीश सरोज
- 3- का. देवेन्द्र यादव
- 4- कां मुनीष कुमार
- 5- कां रोहित यादव
- 6- कां नितिन कुमार

अपराध विवरण -

1. मु.अ.सं. **109/2021** धारा 13 G ACT थाना पनवाड़ी जिला महोबा ।

बरामदगी -

12600 रू0 मालफड़ व 1010 रू0 जामा तालाशी व 52 अदद ताश पत्ता ।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम व पता -

1. चन्दू पुत्र रोशन उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम बेंदो थाना पनवाड़ी जिला महोबा ।
2. बाबूलाल पुत्र जयराम उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम बेंदो थाना पनवाड़ी जिला महोबा ।
3. फूलसिंह पुत्र शिवप्रसाद उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम बेंदो थाना पनवाड़ी जिला महोबा ।
4. अमरचन्द्र पुत्र प्यारेलाल उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम बेंदो थाना पनवाड़ी जिला महोबा ।
5. शंकर पुत्र कालीचरन उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम बेंदो थाना पनवाड़ी जिला महोबा ।
6. मदन पुत्र सन्तोष उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम सरगांव थाना मझगवां जिला हमीरपुर ।

7. रामकुमार पुत्र बिहारी लाल उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम बेंदो थाना पनवाड़ी जिला महोबा ।

8. मानसिंह राजपूत पुत्र शिवनारायण उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम अलीपुरा थाना पनवाड़ी जिला महोबा ।



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 31.05.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना कबरई पुलिस ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के.गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 31.05.2021 को थानाध्यक्ष कबरई दिनेश कुमार सिंह द्वारा गठित टीम ने थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 161/21 धारा 323/504/506/353 भादवि मे वांछित चल रहे अभियुक्त त्रिलोक सिंह पुत्र महाशंकर सिंह उम्र 42 वर्ष नि0 ग्राम उटियां थाना कबरई जिला महोबा को ग्राम उटियाँ थाना कबरई से गिरफ्तार करते हुये आवश्यक कार्यवाही सम्पादित कर मां0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम...।

1. उ0नि0 श्री ब्रम्हादीन
2. कां0 सुनील कुमार द्वितीय

गिरफ्तार वांछित अभियुक्त का विवरण...।

त्रिलोक सिंह पुत्र महाशंकर सिंह उम्र 42 वर्ष नि0 ग्राम उटियां थाना कबरई जिला महोबा





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 31.05.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना कोतवाली महोबा पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के.गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 31.05.2021 को प्रभारी निरीक्षक श्री बलराम सिंह द्वारा गठित टीम ने अभियान में शामिल होकर थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0स0 264/21 धारा-307/504 भादवि व 3(1)द/3(1)ध/3(2)(5)एससीएसटी एक्ट में नामजद वांछित अभियुक्त उमेश कुशवाहा पुत्र रामदयाल कुशवाहा को कल्याण सागर महोबा के पास से गिरफ्तार किया गया व बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

उमेश कुशवाहा पुत्र रामदयाल कुशवाहा निवासी नयापुरा नैकाना प्राईवेट बस स्टैण्ड के पास थाना कोतवाली नगर महोबा जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 उपेन्द्र प्रताप सिंह
2. का0 मुकेश सिंह थाना कोतवाली नगर महोबा





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 31.05.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना कोतवाली महोबा पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध पर अंकुश एवं अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के दृष्टिगत क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के नेतृत्व में चलाये जा रहे अवैध शस्त्र धारक अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में दिनांक 30.05.2021 को प्रभारी निरीक्षक श्री बलराम सिंह द्वारा गठित टीम ने अभियान में शामिल होकर यादव ढाबा के पास रेलवे पुल के नीचे महोबा से मय एक नफर अभियुक्त रवि यादव पुत्र जगन्ती यादव उम्र 20 वर्ष नि०मु० शेखनपुरा थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ बरामद अवैध तमंचा व कारतूस के आधार पर अभि० के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 265/2021 धारा 3/25 आर्म एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को मां० न्यायालय पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1- उ०नि० उपेन्द्र कुमार सिंह
2. का० मुकेश सिंह
3. का० कृष्णपाल सिंह



गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

रवी यादव पुत्र जगन्ती यादव उम्र 20 वर्ष नि०मु० शेखनपुरा थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा।



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 31.05.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने अवैध 40 क्वार्टर ठेका देशी शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री तेजबहादुर सिंह के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अवैध शराब के निर्माण व बिक्री के विरुद्ध अभियान व इसमें लिप्त अपराधियों के गिरफ्तारी के क्रम में आज दिनांक 30.05.2021 को SHO कुलपहाड़ श्री श्याम प्रताप पटेल द्वारा गठित टीम ने अभियान के तहत अवैध शराब बेचते हुये 02 नफर अभियुक्त गण क्रमशः (1) हरीप्रकाश पुत्र गौरीशंकर राजपूत उम्र 26 वर्ष (2) ओमप्रकाश पुत्र गौरीशंकर राजपूत उम्र करीब 22 वर्ष को घटनास्थल कुलपहाड़ महोबा रोड़ से बाघविराजन मन्दिर को जाने वाली सड़क के पास से 02 प्लास्टिक के थैलों क्रमशः 20 - 20 अदद देशी क्वार्टर, कुल 40 क्वार्टर ठेका देशी शराब (दिल से) नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया जिस अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना हाजा पर क्रमशः मु०अ०सं० 126/2021 व मु०अ०सं० 127/2021 धारा 60 **EX ACT** का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ०नि० रामविलास शुक्ला
2. कां० अनिल कुमार।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्त गण का विवरण:-

1. हरीप्रकाश पुत्र गौरीशंकर राजपूत उम्र 26 वर्ष
2. ओमप्रकाश पुत्र गौरीशंकर राजपूत उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम लाड़पुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

बरामद माल का विवरण:-

02 अदद प्लास्टिक के थैलों में क्रमशः 20 - 20 क्वार्टर कुल 40 अदद क्वार्टर ठेका देशी शराब(दिल से) नाजायज





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 31.05.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने जिलाबदर शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार, कब्जे से 30 क्वार्टर देशी शराब की बरामद...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री तेजबहादुर सिंह के सफल पर्यवेक्षण में जिला बदर अपराधी की गिरफ्तारी व अबैध शराब के रोकथाम के तहत चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत प्रभारी निरीक्षक कुलपहाड़ श्री श्याम प्रताप पटेल के द्वारा गठित टीम ने अभियान के तहत जिला बदर शातिर अभियुक्त विपिन सोनी पुत्र केशव प्रसाद सोनी उम्र करीब 25 वर्ष को मय एक अदद प्लास्टिक के थैले में करीब 30 अदद क्वार्टर ठेका देशी शराब(दिल से) नाजायज के साथ मुढ़ारी मोड़ से मुढ़ारी गांव के पास कस्बा व थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त द्वारा श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट महोबा के आदेश (जिलाबदर 06 माह) के उल्लंघन करने व अबैध शराब की बरामदगी पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर क्रमशः मु०अ०सं० 122/2021 धारा 10 UP गुण्डा एक्ट व मु०अ०सं० 123/2021 धारा 60 EX ACT का अभियोग पंजीकृत किया गया, अभियुक्त विपिन सोनी उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करते हुये मान० न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

विपिन सोनी पुत्र केशव प्रसाद सोनी उम्र करीब 25 वर्ष निवासी मु० किशोरगंज कस्बा व थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- (1) उ०नि० रामविलास शुक्ला 2. हे०कां० लक्ष्मण सिंह
3. कां० अनिल कुमार 4. म०कां० प्रिया सिंह





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 31.05.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



जनपदीय पुलिस द्वारा पैदल गस्त करके क्षेत्रवासियों को **कोविड-19** संक्रमण से बचाव के तरीके बताये गये



आज दिनांक 31.05.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में पैदल गस्त करके वैश्विक महामारी **कोविड-19** संक्रमण के प्रसार को रोकने एवं क्षेत्रवासियों को संक्रमण से बचाव हेतु तरीके बताये गये, जिसमें लोगों को सदैव मास्क का प्रयोग करने व 02 गज की दूरी बनाये रखने एवं बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने को कहा गया साथ ही अपने हाथों को समय-समय पर पानी/साबुन से धोते रहने एवं सफाई पर विशेष ध्यान देने हेतु

लोगों को प्रेरित किया गया। पैदल गस्त के दौरान लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील भी की गई।

